E'S SIGNATURE

Greater Noida Ind. Dev. Authority
No. 21753
Date 29-3-22

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकरी/मुख्य कार्यपालक महोदय जी,
ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर

विषय :- वर्ष 2005 सूचना अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनाए दिलवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि गौड़ सीटी नाले की पुलिया सें तिगरी गोल चक्कर की ओर जाने वाले रोड के किनारे - किनारे ग्रिन बेल्ट है उस ग्रिन बेल्ट पर आम लोगो द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है तथा राजधानी रसोई घर के पास श्याम कूमार पुत्र स्व0 श्री बुद्ध सिह द्वारा अवैध रूप से ग्रिन बेल्ट पर अवैध रूप से कब्जा कर छोटे नाले के किनारे शौचालय/लैटरिंग बना कर खुले में मल मूत्र डालकर माननीय एन.जी.टी. के आदेशो की अवहेलना की जा रही है के सम्बन्ध में दिये गये शिकायत पत्र में कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न सूचनाए की जनहित में आवश्यकता है :-

1. श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2022 को उक्त के सन्दर्भ में श्रीमान मुख्य कार्यपालक महोदय ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गौड़ सिटी हाईवे तिगरी गोल चक्कर की ओर जाने वाले ग्रिन बैल्ट पर अवैध कब्ता तथा ग्रिन बैल्ट पर शौचालय/लैटरिंग बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है कार्यवाही की गई अथवा नही सूचना देने की कृपा करें।

2. श्रीमान जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 13474/2016 लवकुश एण्ड अदर्स दिनांक 03.06.2016 के आदेश में उ0 प्र0 की समस्त ग्रिन बेल्ट पर से अवैध कब्जा ना किया जाय इस आदेश के अनुपालन में ग्रिन बैल्ट से अवैध कब्जा हटाया जायेगा अथवा नही, सूचना देने की कृपा करें।

श्रीमान जी सूचना के प्रार्थना पत्र में बिन्दू संख्या 1 या 2 की सूचना देने की कृपा करे।

सलग्न :- 1. 10 रू0 का पोस्टल आर्डर न0 56F394762
2. दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी।

PIO - Horticulture
RTI - 20429
30/03/2022

प्रार्थी

नरेश जाटव पुत्र स्व0 श्री सरन सिंह
पार्षद वार्ड न0 07
निवासी : म.न. 25, महाराणाबिहार, विजयनगर,
बाई पास, गाजियाबाद, मो0 9810641204

PIO Horticulture
30/3/22

FTS- 18813
Hort

सेवा में,

श्रीमान मुख्य कार्यपाल अधिकारी/प्रोजेक्ट मैनेजर
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जी.बी.नगर

विषय :-ग्राम तिगरी के हाईवे पर गौर सिटी, नाले से हाईवे के किनारे -किनारे तिगरी गोलचक्कर की ओर जाने पर बड़े पैमाने पर ग्रीन बैल्ट पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा मा.एन.जी.टी. के आदेशो के विरूद्ध ग्रीन बैल्ट पर अवैध कब्जा कर लैटरिंग/शौचालय बना कर खुले में कच्चाा मल बहाते है को हटाने के सम्बनध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी नरेश जाटव पुत्र श्री सरन सिंह निवासी ग्राम चिपियाना खुर्द (रिछपालगढ़ी) हाल निवासी म.न. 25 महाराणाबिहार गाजियाबाद का हूँ।, वर्तमान में गाजियाबाद नगर निगम में पार्षद हूँ। ग्राम तिगरी हाईवे गौड सिंटी नाले से तिगरी गोल चक्कर की ओर जाने वाले रोड हाईवे के किनारे - किनारे ग्रीन बेल्ट पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया हुआ हैं। श्यामकुमार पुत्र बुद्ध सिंह निवासी बागू के निकट देशी शराब, राजधानी रसोई के पास ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा कर लैटरिंग/शौचालय बना लिया। कच्चा मल खुले नाले में बहाते है आस - पास के लोगो को काफी परेशानी होती है। दुर्गन्ध भी आती है। इन लोगो द्वारा मा0 न्यायालय ग्रीन ट्रयूनल (एन.जी.टी.) के आदेशो की भी अवहेलना की है तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट सं0 13474/16 लवकुश एड अदर के आदेश दिनांक 03.06.2016 का भी ग्रीन बैल्ट एवं सार्वनजिक सड़क हाईवे पर अवैध कब्जा कर आदेशों की अवहेलना की है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त ग्रीन बैल्ट पर तथा अवैध रूप से बनाई गई लैटरिंग/शौचालय को तत्काल हटाने का कष्ट करें।

सलंग्न :-

1. म0 उच्च न्यायलय इलाहाबाद की रिट संख्या 13474/16 लवकुश एण्ड अदर के आदेश दिनांक 03.06.2016 की फोटो कॉपी।

15-3-22

प्रार्थी

नरेश जाटव पुत्र स्व0श्री सरन सिंह
पार्षद नगर निगम गाजियाबाद
मो0 न0 9810641204

दश टका दश टाका ৫ম রূপিয়া ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ... पत्तु ரூபாய் दहा रुपये ... दस रुपये दश रूप्यकाणि

NOT NEGOTIABLE अपरक्राम्य

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान जनसूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रे० नो० नगर को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

डाक टिकट POSTAGE STAMPS

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें। SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT नरेश जाटव s/o सरन सिंह नि० - 25, महाराणा विहार 9810641204

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 394762

753
9-3-22

...बन्ध में।

... ओर जाने वाले रोड ... कब्जा किया हुआ है तथा राजधानी रसोई पर ... ध रूप से ग्रिन बैल्ट पर अवैध रूप से कब्जा कर छोटे नाले के किनारे शौचालय/लैटरिंग बना कर खुले में मल मूत्र डालकर माननीय एन.जी.टी. के आदेशो की अवहेलना की जा रही है के सम्बन्ध में दिये गये शिकायत पत्र में कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न सूचनाए की जनहित में आवश्यकता है :-

1. श्रीमान जी प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2022 को उक्त के सन्दर्भ में श्रीमान मुख्य कार्यपालक महोदय ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गौड़ सिटी हाईवे तिगरी गोल चक्कर की ओर जाने वाले ग्रिन बैल्ट पर अवैध कब्जा तथा ग्रिन बैल्ट पर शौचालय/लैटरिंग बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है कार्यवाही की गई अथवा नही सूचना देने की कृपा करें।

2. श्रीमान जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 13474/2016 लवकुश एण्ड अदर्स दिनांक 03.06.2016 के आदेश में उ0 प्र0 की समस्त ग्रिन बेल्ट पर से अवैध कब्जा ना किया जाय इस आदेश के अनुपालन में ग्रिन बैल्ट से अवैध कब्जा हटाया जायेगा अथवा नही, सूचना देने की कृपा करें।

श्रीमान जी सूचना के प्रार्थना पत्र में बिन्दू संख्या 1 या 2 की सूचना देने की कृपा करे।

सलग्न :- 1. 10 रू0 का पोस्टल आर्डर न0 56F394762
2. दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी।

PIO - Horticulture
RTF - 20429
30/03/2022
PIO Horticulture
30/3/22

प्रार्थी

नरेश जाटव पुत्र स्व0 श्री सरन सिंह
पार्षद वार्ड न0 07
निवासी : म.न. 25, महाराणाबिहार, विजयनगर,
बाई पास, गाजियाबाद, मो0 9810641204